ई-मेल

संख्या: I/982157/2025/16-3099/12/2019/Part-I

प्रेषक,

प्रभाकर चन्द्र मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्,
उ०प्र० लखनऊ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांक**: 04-06-2025

विषय- प्रदेश की राजकीय , अनुदानित, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एवं निजी क्षेत्र की पॉलिटेक्निक संस्थाओं में ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा एवं ऑनलाइन काउंसिलिंग प्रक्रिया में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- I/154341/2025/संप्रपप/परी०अनु०-(शास०आं०संशो०)/2025 दिनांक 04.05.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश की राजकीय, अनुदानित, पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप एवं निजी क्षेत्र की पालीटेक्निक संस्थाओं में आनलाइन प्रवेश परीक्षा एवं आनलाइन काउन्सिलिंग प्रक्रिया निर्धारण संबंधी शासनादेश संख्या-116/2023/आई/459155/2023/16-3099/12/2019 दिनांक 29.12.2023 के प्रस्तर 10 के बिन्दु संख्या (III) a में निहित व्यवस्था में संशोधन किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके पत्र संख्या- I/154341/2025/संप्रपप/परी०अनु०-(शास०आं०संशो०)/2025 दिनांक 04.05.2025 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत शासनादेश संख्या- 116/2023/आई/459155/2023/16-3099/12/2019 दिनांक 29.12.2023 के प्रस्तर 10 के बिन्दु संख्या (III) a में निहित व्यवस्था में निम्नवत् संशोधन किया जाता हैः-

शासनादेश दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 के प्रस्तर-10 के बिन्दु संख्या (III) a में निहित व्यवस्था	**शासनादेश दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 के प्रस्तर 10- के बिन्दु संख्या (III) a की संशोधित व्यवस्था**
अभ्यर्थियों को आवंटित सीट स्वतः Freeze होगी। राजकीय एवं अनुदानित संस्थाओं में सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थियों को सीट एक्सेप्टेंस शुल्क रू0 3000/- एवं रू0 250/- काउन्सिलिंग शुल्क अर्थात् कुल रू0 3250/- आनलाइन जमा करते हुए सहायता केन्द्रों के माध्यम से अभिलेख सत्यापित कराकर शेष शिक्षण शुल्क काउन्सिलिंग शिड्यूल के अनुसार निर्धारित	अभ्यर्थियों के पास पोर्टल में दो विकल्प होगें। 1. फ्रीज (Freeze) 2. फ़्लोट (Float) यदि अभ्यर्थी फ्रीज (Freeze) विकल्प को चुनता है तो उसे सीट एक्सेप्टटेन्स शुल्क (Seat Acceptance Fee) रू0 3250/- (जिसमें से रू0 3000/- को अभ्यर्थी के शिक्षण शुल्क में समायोजित किया जायेगा जबकि रू0 250/- काउन्सिलिंग शुल्क के रूप में देय होगा) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन जमा करना होगा।

तिथियों में पोर्टल के माध्यम से जमा करना होगा, तत्पश्चात अभ्यर्थी द्वारा औपबन्धिक एडमिशन पत्र डाउनलोड करना होगा।	अथवा यदि अभ्यर्थी फ्लोट (Float) विकल्प को चुनता है तो उसे सीट एक्सेप्टटेन्स कम सिक्योरिटी शुल्क (Seat Acceptance cum security Fee) रू0 3250/- अभ्यर्थियों को ऑनलाइन जमा करना होगा, उक्तानुसार जमा की गयी धनराशि में रू0 250/- काउन्सिलिंग शुल्क के रूप में समाहित होगा। इन विकल्पो में से यदि अभ्यर्थी फ्लोट विकल्प का चयन करता है तो वह अगले चरण की काउन्सिलिंग के लिये पात्र होगा। प्रथम चरण में सीट आवंटन के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी फ्लोट विकल्प का चयन करता है तो वह द्वितीय व तृतीय चरण की काउसिलिंग के लिए पात्र होगा। फ्लोट विकल्प का चयन करने वाले अभ्यर्थी अगले चरणों की काउन्सिलिंग में अपने विकल्पों का चयन करते हुए प्रतिभाग कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी के द्वारा फ्लोट विकल्प का चयन किया गया है एवं सीट एक्सेप्टटेन्स कम सिक्योरिटी शुल्क (Seat Acceptance cum security Fee) रू0 3250/- नहीं जमा किया है तो ऐसे अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के इस चरण (Phase) से बाहर हो जायेगे। फ्रीज (Freeze) विकल्प का चयन करने की दशा में प्रवेश हेतु निर्धारित सीट एक्सेप्टटेन्स शुल्क (Seat Acceptance Fee) रू0 3250/- अभ्यर्थियों को ऑनलाइन जमा करना होगा जो कि प्रवेशित संस्था को परिषद द्वारा भेज दिया जायेगा।

3. शासनादेश दिनांक-29.12.2023 के प्रस्तर-14 के बाद प्रस्तर-15 जोड़ते हुए यह प्रविष्ट की जाती है कि " उक्त शासनादेश आगामी वर्षो के लिए भी प्रभावी होगा"।

4. शासनादेश संख्या: 116/2023/आई/459155/2023/16-3099/12/2019 दिनांक 29.12.2023 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,

Digitally signed by
PRABHAKAR CHANDRA MISHRA
Date: 04-06-2025 09:46:12

(प्रभाकर चन्द्र मिश्र)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० मंत्री , प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० को मा० मंत्री जी के अवगतार्थ।

2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवगतार्थ।

3. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० कानपुर।

4 सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ।

5. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।

6. अध्यक्ष, फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली।

7. अध्यक्ष, काउन्सिल ऑफ आर्कटिक्चर, नई दिल्ली।

8. समस्त संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० लखनऊ (द्वारा सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद)।

9. समस्त प्रधानाचार्य/निदेशक, राजकीय, अनुदानित, पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप एवं निजी क्षेत्र की पालीटेक्निक/डिप्लोमा संस्थाएं (द्वारा सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद)।

10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रभाकर चन्द्र मिश्र)
संयुक्त सचिव।